



राजस्थान सरकार

## न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 35/2025

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट:-

- श्री यशपाल सिंह सिंह राठौड़,  
निवासी मोकलसर तहसील  
सिवाना, जिला बालोतरा।

- अति. जिला कलक्टर, बालोतरा।

आदेश

दिनांक 03.09.2025

अपीलार्थी श्री यशपाल सिंह सिंह राठौड़, निवासी मोकलसर तहसील सिवाना, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता अति. जिला कलक्टर, बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 19.08.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा भ्रमित एवं गलत धारा का हवाना देते हुए सूचना उपलब्ध कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय अति. जिला कलक्टर, बालोतरा के पत्रांक/लो.सू.अ./2025/149 दिनांक 10.06.2025 को निर्धारित समयावधि में जरिये डाक कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई गई। साथ ही कथन किया कि अपीलांत द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अनुसार तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार कर प्रकरण खारिज योग्य है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा अपने पिता के नाम DBBL 20 Bore, Gun no 7502/7582 की सम्पूर्ण फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना की मूल पत्रावली कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर से संबंधित है। इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, बालोतरा से संबंधित नहीं होने से दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही अपीलार्थी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर से संबंधित होने के उक्त सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर से प्राप्त कर सकता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)  
प्रथम अपील प्राधिकारी  
जिला कलक्टर बालोतरा  
बालोतरा